

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>जगदीश बनाम हनुमान<br>अपील संख्या:-जीसीएमएस नम्बर 2023/318 | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुक्म की तामील<br>में जारी हुए |
|-------------|---|--|

21.11.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई करने एवं प्रा.पत्र बाबत अपील विद्धो करने प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी श्री राजाराम चौधरी, एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र विद्धो करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है और राजीनामा अनुसार अपीलार्थीगण इस अपील में अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिये उपरोक्त अपील में शीघ्र सुनवाई की जाकर विद्धो किया जाना आवश्यक है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील में शीघ्र सुनवाई की जाकर अपील को विद्धो किये जाने के आदेश पारित फरमाये जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से प्रार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थीगण के पहचान पत्र को तस्दीक किया गया।

अतः अपीलार्थीगण का प्रा. पत्र विद्धो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण स्वयं अपील विद्धो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर पूर्ति लेख भण्डार हो।

(डॉ. आरुषि मलिक )

समाप्ति आदेश  
जयपुर